



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 16/2009/बोर्ड ऑफ स्टडीज/26/30


दिनांक: 25. 11. 2014

कार्यालय आदेश

साहित्य विभाग की 14 नवम्बर, 2014 को सम्पन्न अध्ययन-मंडल की बैठक की मद संख्या 03 और 04 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में पी-एच.डी. शोधार्थियों की शोध अवधि का विस्तार निम्नानुसार किया जाता है-

क्र.सं.	शोधार्थी	शोध अवधि का विस्तार
01	सुश्री अर्चना त्रिपाठी	अंतिम 06 माह शोधवृत्ति के साथ।
02	सुश्री प्रीति प्रजा	
04	श्री बलबीर सिंह	01 वर्ष शोधवृत्ति के साथ।
05	सुश्री पूजा धनराज झिल्ये	
06	सुश्री सूर्या ई.वी.	
07	सुश्री शोभा बिसेन	
08	श्री अरविंद उपाध्याय	शोधवृत्ति के साथ पिछली अवधि का विस्तार देते हुए 14.11.2014 से 06 माह की शोध अवधि का विस्तार इस आशय के साथ दिया जाता है कि वे इस बीच अपने शोध निर्देशक को संतुष्ट करें।

शोधवृत्ति की पात्रता हेतु शोध-निर्देशक की संस्तुति आवश्यक होगी।


(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. विभागाध्यक्ष, साहित्य विभाग
2. संबंधित शोधार्थी
3. परीक्षा विभाग
4. वित्त विभाग
5. अकादमिक विभाग
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फाइल